(1·6) Annexure-23(A)

Office of the Districts Collector,

District- Champawat (Uttarakhand)

No......2656/F.R.A. Dated 25-4-17

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।**

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of Dr. Ahmad Iqubal (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 25-04-2017. at ......1:30PM Champawat in which the application claiming rights in Jhunali, Koon, Bhumwari, Jhalpuri, Reetha in Pati Tahsil. Area measuring 6.940 hec for the **Construction of Reetha to Koon Motor Road Under PMGSY in District Champawat** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Pati tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee reommends the above case diversion to the land for the said purpose.

जिलाधिकारी चम्पावत

(Dr. Ahmad Iqubal) (I.A.S)
District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committee, Champawat.

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड लोहाघाट (चम्पावत)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

प्रारुप–30

(1.6) (2)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No....Memo /FRA Date 26-6-2017

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।**

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.940 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PMGSY Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Construction of Reetha to Koon Motor Road Under PMGSY in District Champawat. (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Jhunali, Koon, Bhumwari, Jhalpuri, Reetha village (s) in Pati Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.940 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी
चम्पावत
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट (चम्पावत)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

1.6 ⑧

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी पाटी।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पाटी।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण। (आरक्षित वन भूमि 0 हे0 सिविल सोयम भूमि 6.195 हे0, वन पंचायत भूमि 0.645 हे0) अर्थात कुल 6.940 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पाटी की दिनांक 07-04-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी पाटी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी पाटी – अध्यक्ष
2– श्री मनोहर सिंह सिमिरिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत – सदस्य
3– श्री गोपाल सिंह राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत – सदस्य/सचिव
4– श्री मीनाक्षी बी0डी0सी0 क्षेत्र रौलमेल – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि
" जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्मार्ण" परियोजना हेतु 6.940 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग चम्पावत, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबध में

(1.6) (9)

ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु 6.940 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग चम्पावत, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी
पाटी
जनपद चम्पावत

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील पाटी
जनपद चम्पावत।

प्रतिलिपिः—जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
समिति
तहसील..
जनपद..

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ...
तहसील पाटी (चम्पावत)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड लोहाघाट (चम्पावत)

मीनाक्षी
क्षे०पं० सदस्य
रौलमेल

... पाटी
जनपद-चम्पावत

1·8 10

प्रपत्र--30

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी के रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कूण भुम्वाड़ी रीठा
तहसील - पाटी, जिला - चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 14.200 कि.मी. में पड़ने वाले वनभूमि (आरक्षित वन भूमि शून्य हे0 सिविल सोयम भूमि 6.795 हे0, वन पंचायत भूमि 0.59 हे0 मोटर मार्ग के अतिरिक्त निर्माण हेतु 1.550 हे0) अर्थात कुल 6.940 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कूण भुम्वाड़ी रीठा द्वारा दिनांक 8-6-17 व दिनॉक 8-6-2017 को सम्पन्न ग्राम सभाओं / ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कूण भुम्वाड़ी रीठा के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / --
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ......
वि0ख0 ...... (चम्पावत)

शोभा
(श्रीमती शोभा)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत भुम्वाड़ी
क्षेत्र- पाटी (जिला- चम्पावत)

ह0 / --
(त्रिलोक सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत कूँण
वि0ख0- पाटी (चम्पावत)

नोटः- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

1-6 11

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में **प्रधानमंत्री** ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी में रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 8-4-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	नवीन चन्द्र	[signature]
2	जगदीश चन्द्र	[signature]
3	महेश चन्द्र	[signature]
4	गिरीश चन्द्र	गिरिश चन्द्र
5	महेश चन्द्र	महेश चन्द्र
6	नन्द किशोर	[signature]
7	भैरव दत्त	[signature]
8	जगन नाथ	जगननाथ
9	त्रिलोचन	त्रिलोचन
10	श्री राम	[signature]

[signature]
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिचाई विभाग लोहाघाट (चम्पावत)

[signature]
(त्रिलोक सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत कूण
वि०ख० पाटी (चम्पावत)

(1·6) (12)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी में रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक ...8-4-2015...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	लक्ष्मी दत्त	लक्ष्मी दत्त
2	प्रेम राम	[signature]
3	रतन राम	रतन [signature]
4	डुँगर देव	डुँगर देव
5	उर्वादत्त भट्ट	उर्वादत्त
6	शान्तीप्रसाद	शान्तीप्रसाद
7	प्रकाश चन्द्र	प्रकाश चन्द्र
8	रमेश चन्द्र S/O देवीदत्त भट्ट	रमेश [signature]
9	पानदेव भट्ट	पानदेव देव
10	भाष्कर भट्ट	भाष्कर भट्ट

~~सत्य प्रति प्रमाणित~~
[signature]
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिचाई विभाग लो... (चम्पावत)

[signature]
(त्रिलोक सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत कूण
वि०ख० पाटी चम्पावत

(1.6) (12)

प्रपत्र—30.1

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी में रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 28.04.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	राम गिरी S/O शिव गिरी	रामगिरी
2	शंकर गिरी S/O उमेद गिरी	शंकरगिरी
3	दिवान गिरी S/O लछ गिरी	दिवान गिरी
4	हर गिरी S/O लछ गिरी	हर गिरी
5	केदार गिरी S/O जैत गिरी	केदार गिरी
6	चन गिरी S/O किसन गिरी	चन गिरी
7	प्रेम गिरी S/O मोहन गिरी	प्रेम गिरी
8	सन्तोष गिरी S/O बच गिरी	द० सन्तोषगिरी
9	जोत गिरी S/O बच गिरी	द० जोतगिरी
10	भवान गिरी S/O जगत गिरी	भवानगिरी
11	हरीश गिरी S/O लाल गिरी	हरीशगिरी
12	शेर गिरी S/O लीला गिरी	शेरगिरी
13	चिन्ता गिरी S/O देव गिरी	चिन्तागिरी
14	कृष्ण गिरी S/O तारा गिरी	कृष्ण गिरी

कार्यदायी संस्था प्रतिनिधि
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिचाई विभाग लोहाघाट (चम्पावत)

(त्रिलोक सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत कूण
वि०ख० पाटी (चम्पावत)

(1·6) (13)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी में रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 8-4-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	सुन्दर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	सुन्दर सिंह
2-	प्रताप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह	प्रताप सिंह
3-	नानक सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	Nanak Singh
4-	केदार सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह	केदार सिंह
5-	चतुर सिंह S/0 लक्ष्मण सिंह	Chatur Singh
6 -	पूरन सिंह S/0 गुलाब सिंह	पूरनसिंह
7-	नर सिंह S/0 मोहन सिंह	नर सिंह
8-	हयात सिंह S/0 शिवराज सिंह	हयात सिंह
9 -	श्याम सिंह S/0 लाल सिंह	श्याम सिंह
10-	हल्तर सिंह S/0 बजीर सिंह	हल्तर सिंह
11-	दिवान सिंह S/0 लक्ष्मण सिंह	दिवान सिंह
12-	पूरन सिंह S/0 रतन सिंह	पूरन सिंह
13 -	रघुवर राम S/0 सेत राम	रघुवरराम
14 -	चेत राम S/0 मोती राम	चेतराम

~~[illegible] प्रति प्रमाणित~~

[signature]

सहायक अभियन्ता

पी० एम० [illegible] वाई०

सिंचाई विभाग [illegible] (चम्पावत)

[signature]

(त्रिलोक सिंह)

प्रधान

ग्राम पंचायत कूण

वि०ख० पाटी (चम्पावत)

(1.5) (14)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी में रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 8-4-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
(1)	~~उमेशनाथ~~ दयानाथ	दयानाथ
(2)	भैरवनाथ	भैरवनाथ
(3)	नरनाथ	नरनाथ
(4)	जीवनचन्द्र	जीवनचन्द्र
(5)	प्रकाशचन्द्र	प्रकाशचन्द्र

सत्य प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई ... (चम्पावत)

(त्रिलोक सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत कूण
वि0ख0 पाटी (चम्पावत)

1.8 15

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी में रीठा से कूण मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 8-4-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	केशब गिरी S/O तेज गिरी	केशब गिरी
2	रूप गिरी S/O तेज गिरी	रूप गिरी
3	दिवान गिरी S/O लछ गिरी	दिवान गिरी
4	शंकर गिरी S/O लछ गिरी	शंकर गिरी
5	भीम गिरी S/O चिन्ता गिरी	भीमगिरी
6	विक्रम गिरी S/O चिन्ता गिरी	विक्रमगिरी

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई विभाग लोहाघाट (चम्पावत)

(त्रिलोक सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत कूण
वि०ख० पाटी (चम्पावत)